न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 67 सन 2022

अनवान :–

1. रामजीलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानरार तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गोपाराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
3. रामेश्वरलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. धनी पत्नी चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसार तहसील नोहर।
2. विधा पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानरार तहसील नोहर
3. शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानरार तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. ललीता उर्फ पाना पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानरार तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600हैक्‍ प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160हैक्‍ में से प्रतिवादी संख्या 1ता 4 प्रत्येक 8917/401220हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में चेतराम वलद नानूराम के नाम से दर्ज थी चेतराम वलद नानूराम जो वादीगण का पिता है चेतराम वलद नानूराम को देहान्त हो चुका है चेतराम वलद नानूराम के देहान्त होने पर चेतराम के नाम दर्ज भूमि उनके वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि विरासतन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता एव चेतराम की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व चेतराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण वहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पिता चेतराम पुत्र नानुराम के नाम से दर्ज थी वादीगण के पिता के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि चेतराम के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600हैक प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160हैक में से प्रतिवादी संख्या 1ता 4 प्रत्येक 8917/401220हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में चेतराम वलद नानूराम के नाम से दर्ज थी चेतराम वलद नानूराम जो वादीगण का पिता है चेतराम वलद नानूराम को देहान्त हो चुका है चेतराम वलद नानूराम के देहान्त होने पर चेतराम के नाम दर्ज भूमि उनके वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि विरासतन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता एव चेतराम की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व चेतराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600हैक प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160हैक में से प्रतिवादी संख्या 1ता 4 प्रत्येक 8917/401220हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पिता चेतराम वल्द नानुराम के नाम से दर्ज थी वादीगण के पिता चेतराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीगण की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि

Scanned with CamScanner

का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हको का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600हैक प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 8917/401220 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 94/94 में वादीगण के पिता का नाम चेतनरा दर्ज है के स्थान पर चेतराम संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामजीलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गोपाराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
3. रामेश्वरलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. धनी पत्नी चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. विधा पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
3. शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. ललीता उर्फ पाना पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 67 सन 2022 निर्णय दिनांक– 16/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600हैक प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 8917/401220 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 94/94 में वादीगण के पिता का नाम चेतनरा दर्ज है के स्थान पर चेतराम संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प ताकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner